शोध मंथन Vol. XVII No.1 Jan.- Mar. 2026 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X, Impact Factor 8.889 (SJIF)
https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i01.18

महिलाओं के सांस्कृतिक विकास में शिक्षा की उपयोगिता

प्राप्तिः 17.02.26
स्वीकृतः 05.03.26

18

डॉ. नीलम
असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र विभाग)
का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अयोध्या (उ0प्र0)

सुजल पाल
शोध छात्र (शिक्षाशास्त्र विभाग)
का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
अयोध्या (उ0प्र0)
ईमेलः *sujalpal421@gmail.com*

सारांश

भारत की सभ्यता और संस्कृति अत्याधिक पुरानी है और समय के साथ–साथ हमारी संस्कृति में काफी उतार–चढ़ाव भी आए हैं। इन्ही उतार–चढ़ावों के कारण भारतीय परम्परा में ''जिज्ञासा की भावना को बल मिला। प्राचीन भारत में मौखिक–संस्कृति के माध्यम से ज्ञान का प्रसार एक से दूसरे व्यक्ति में होता है। वैदिक युग से लेकर आज के आधुनिक युग तक भारत में ज्ञान एवं शिक्षा के प्रचार–प्रसार में अनेकों विविधतायें मिलती हैं लेकिन एक बात जो हमेशा अपरवर्तितत रही है वह यह है कि महिलाओं में शिक्षा का प्रसार सदैव से ही अपेक्षाकृत कम रहा हैं। विकास के लिए शिक्षा का होना अति आवश्यक है क्योंकि बात चाहे हम वैज्ञानिक विकास की करें या सांस्कृतिक विकास की, बात चाहे हम राजनैतिक विकास की करें या सामाजिक विकास हर प्रकार के विकास के लिए शिक्षा का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए हम महिला राजनीति की बात कर सकते है।

प्रस्तावना

''शिक्षा को किसी भी वर्ग के विकास का पैमाना माना जा सकता है। दुनियाभर में देखा गया है कि अधिक शिक्षित लोग अधिक विकसित होते है। ऐसा ही विभिन्न देशों के मामले में भी होता है। वही देश आज विकास की दौड़ में सबसे आगे है जहाँ शिक्षा का प्रतिशत अधिक है।'' हमारा देश आज तक विकसित देशों की सूची में अपना स्थाना नहीं बना पाया है तो इसका एक प्रमुख कारण यही है कि हमारे यहाँ शिक्षा का प्रचार–प्रसार बेहद कम हैं। स्त्रीयों के मामले में तो स्थिति और भी अधिक खराब है।

भारतीय राजनैतिक आकाश में महिलाओं की संख्या लगभग नगण्य ही है। उनकी न तो राजनीति में भागीदारी है और न ही सत्ता में हिस्सेदारी। और तो और पंचायतों में 33 फीसदी आरक्षण के सहारे जो औरतें पंचायतों के लिए चुनकर आ भी रही हैं, वे भी राजनीति में कुछ खास नहीं कर पा रही है। अधिकतर पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पुरूष रिश्तेदार ही राजनीति करते हैं। यह दुर्दशा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे यहॉ महिलाओं के बीच शिक्षा का

प्रसार बेहद कम हैं। जब महिलायें शिक्षित ही नहीं है तो हम उनके विकास की कल्पना भी कैसे कर सकते है।

यह शिक्षा की कमी ही है कि आज महिलायें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं। वे मेहनत तो पूरी करती है लेकिन देश के आर्थिक नियोजन में उनकी कोई भागीदारी नहीं है। **''महानगरों की कुछ मुट्ठीभर औरतों की बात अगर हम छोड़ दें तो भारत की अधिकतर महिलायें आर्थिक रूप से परतंत्र ही हैं। वे स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकती कयोंकि उनके पास आर्थिक स्त्रोत नहीं हैं। इस सारी दुर्दशा का बस एक ही कारण है शिक्षा की कमी।''**

भारतीय समाज में महिला शिक्षा की बहस गति शताब्दी में केवल इस प्रश्न के चारों ओर घूमती रहती है कि यह 'अत्यन्त आवश्यक है' और इसके लिए बालिका विद्यालय और गर्ल्स कॉलेज खोले जाने चाहिए। लड़कियां डिग्रीधारी औपचारिक शिक्षा लेने के उपरान्त सरकारी नौकरी करें और वर्जनाओं और अवरोधों से भरे वातावरण से लड़खड़ाती हुई अपने परिवार के विकास के अवसर ढूंढ़ें।

इन सब अभियानों ने एक नगण्य से शहरी महिला वर्ग को थोड़े से अवसर दिये हैं और वे संघर्श करती हुई जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी पहचान भी बना सकी हैं, पर जिसे 'सर्व महिला शिक्षा' कहा जाना चाहिए वह सम्पूर्ण भारत के समाज और संस्कृति के संदर्भ में अभी आरम्भ भी नहीं हो सकी है। **''यदि शिक्षा के अधिकार को पूरी ईमानदारी और गम्भीरता से लागू किया गया तो शायद तीन–चार पीढ़ियों के बाद पूरे देश में ऐसी स्थिति आ सकती हे कि जो बैल्यिजम, स्वीडन, हॉलैण्ड या सोवियत यूरोपियन में आज ही उपलब्ध है।''**

महिला शिक्षा के तीन पहलू विचारणीय है –

1. प्रथम तो प्रत्येक महिला को इतनी और इस प्रकार से शिक्षित किया जाना चाहिए कि वह एक स्वावलम्बी जिन्दगी जी सके। पिता, पति और पुत्र के तीनों सहारें उसकी मदद कर सकें। यहां तक तो ठीक है, किन्तु वह इन सहारों के बिना यदि जी ही न सके तो उसका जीने का मानव अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकतां। संसार में जीने वाला प्रत्येक प्राणी एक इकाई है और उसे जीवित रहने के लिए एक जीविका चाहिए। यह जीविका ऐसी न हो कि एक महिला किसी भी मोह से पराश्रित बन जाये। वह अपनी इच्छा से कोई भी कार्य चुनें, किन्तु सामान्य और आकस्मिक स्थितियों में उसकी जिन्दगी संकटों में न उलझें, इसके लिए एक रोजगारोन्मुखीशिक्षा आवश्यक है।

महिला शिक्षा का पहला उद्देश्य तो वह 'स्वावलम्बन' है जो नारी–जीवन की पराश्रितता को कम से कम बना सके। नारी जीवन के अधिकतर दुर्भाग्य इसी आश्रितता से जन्मे हैं और इस आश्रितता की जड़ में जो मान्यता देखी जा सकती है वह यह है कि 'महिला एक आर्थिक व्यक्ति न होकर एक सांस्कृतिक प्राणी है।' इस मान्यता ने बेटी, पत्नी और मां की भूमिकाओं में एक महिला को अशिक्षित या कुशिक्षित बना दिया है जिसके फलस्वरूप उसका परिवार दरिद्रता और समाज के अनाचार तथा शोषण के कुचक्रों में उलझा हुआ लगता है। आर्थिक स्वावलम्बन नारीत्व को स्वाभिमान देता है। अतः महिला शिक्षा में तो व्यवसाय या जीविका कमाने की तैयारी पुरूषों में भी अधिक होनी चाहिए। जिससे वे अपने पति की सहायता कर सके तथा अपनी सन्तान को भी अपनी कमाई से पाल सके।''

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i01.18

2. महिला शिक्षा का दूसरा पहलू है व्यक्तित्व निर्माण। यह व्यक्तित्व धीरे–धीरे विकसित होता है, किन्तु इसके लिए शिक्षा का एक न्यूनतम आधार आवश्यक है। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि व्यक्ति का यह व्यक्तित्व नाना प्रकार की क्षमताओं में प्रस्फुटित होता रहा है और शिक्षित पुरूष तथा महिला अपनी इन क्षमताओं का यथा इच्छा निर्माण और विस्तार दोनों ही कर सकते है। इस क्षमता निर्माण के पीछे मनुष्य की एक बौद्धिक क्षमता होती है जिसे निर्णय क्षमता भी कहते है। शिक्षित व्यक्ति इस निर्णयन क्षमता से तरह–तरह की अन्य क्षमताओं को विकसित कर वह सब प्राप्त कर सकता है जिसे पाने की योग्यता और प्रतिभा उसके व्यक्तित्व में अन्तर्निहित होती है।

महिला जीवन की यह क्षमता शिक्षा के आधार के बिना अधलिखी रह जाती है और पीड़ाओं से जूझते हुए वे अपने परिवारों को भी वह सब–कुछ नहीं दे पाती जितनी उनमें क्षमता है। अतः नारी शिक्षा की योजना ऐसी होनी चाहिए कि पुरूषों की भांति उनके व्यक्तित्व का भी सर्वांगणीय विकास हों सकें। वे डॉक्टर, इन्जीनियर, मैनेजर, अधिकारी, खिलाड़ी, साहित्यकार, राजनेता आदि के सब प्रकार के कैरियर चुन सकें और जैण्डर की चेतना उनके व्यक्तित्व को कुण्ठित न बनाये। शिक्षा का बौद्धिक पहलू पुरूष और महिलाओं दोनों के लिए ही एक जैसा माना जाना चाहिए और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तो जैण्डर का कोई भी भेदभाव किसी भी कारण से स्वीकार ही नहीं किया जा सकता।

3. महिला शिक्षा का तीसरा पहलू इस तथ्य की भी उपेक्षा नहीं कर सकता कि सर्वशिक्षा का उद्‌देश्य सभी महिलाओं को उन चुनौतियों और जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना भी है जो पुरूषों के जीवन में उस रूप में नहीं आती जिस रूप में वे महिला जीवन को झकझोरती है। ये चुनौतियां दो क्षेत्रों में गम्भीर है–

क– प्रथम तो प्रत्येक महिला को अपने देह की सुरक्षा के लिए चौकन्ना रहना पडता है। पुरूषों द्वारा हर उम्र में नारी देह के साथ बलात्कार या यौन उत्पीड़न एक ऐसा अपराध है जिससे अपनी रक्षा करने के लिए प्रत्येक महिला में एक विशेष प्रकार की चेतना और क्षमता आवश्यक है। इसका विलोम सही नहीं है जिसके कारण किसी भी पुरूष को महिलाओं से या अकेले होने की स्थिति में भय नहीं लगता। यह जैण्डर सुलभ सुरक्षा दैहिक से अधिक मनोवैज्ञानिक है और विवाह और मातृत्व के बाद भी इस यौन उत्पीडन के भय से सारे संसार की महिलायें एकान्त की स्थिति में सहज अनुभव नहीं करती।

निष्कर्ष

नारी शिक्षा का एक अन्य पहलू महिला की उस भूमिका से जुड़ा हुआ है जो केवल नारी की ही है और पुरूष उसमें सहभागी होते हुए भी उसे अनुभव नहीं कर सकता। बच्चें केवल महिलायें ही पैदा करेंगी और विज्ञान की अविश्वसनीय प्रगति के बावजूद भी पुरूष में यह प्रजनन क्षमता पैदा नहीं की जा सकती। इसलिए व्यक्तित्व विकास की समस्त सम्भावनाओं की समानता के बावजूद भी एक महिला को जननी शिक्षा दिया जाना आवश्यक और उपयोगी है। उसे अपने शरीर की बनावट का ज्ञान और प्रजनन क्षमता की विशिष्टता को जाने बिना वह अपने तथा अपने बच्चें के जीवन के अधिकार के साथ न्याय नहीं कर सकेगी। समान्य शिक्षा उसे एक अच्छा नागरिक बना सकती है, किन्तु अपनी संतान का गर्भस्थ विकास, स्तनपेयी भूमिका, लालन–पालन के संसर, शैशवावस्था के

बाल रोगों से बचाव और बाल मनोविज्ञान के अनेक क्षेत्र ऐसे है जिन्हें महिला शिक्षा का एक विशेष भाग बनाया जाना आवश्यक हैं यह ज्ञान प्रजनन की जटिलताओं को समझने से अधिक एक नवजात को स्वास्थ्य और संस्कार देना है जो हर मां का एक पुनीत कर्तव्य है और एक शिशु का बाल अधिकार भी।

सन्दर्भ

1. प्रतिभा यादव – उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, साहित्य प्रकाशन आगरा, संस्करण 2006, पृ0सं0 31
2. सुरेश भटनागर – भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, प्रकाशक, आर.लाल बुक डिपो मेरठ, संस्करण 2004, पृ0सं0 125
3. राम आहूजा – भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन जयपुर, संस्करण 2009, पृ0सं0 103
4. पी.डी. शर्मा – हमारा शिक्षा संकट, शिक्षा अधिकार के संदर्भ में, साहित्य चन्द्रिका प्रकाशन, जयपुर, संस्करण 2014, पृ0सं0 85
5. गोपा जोशी – भारत में स्त्री असमानता एक विमर्श, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली संस्करण 2006, पृ0सं0 53
6. रचना जैन – भारतीय नारी ओर समाज , के.एस.के. पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीबयूटर्स, संस्करण 2012, पृ0सं0 23
7. सुशीला नैयर – भारतीय पुनर्जागरण में अग्रणी महिलाएं, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, संस्करण 2005, पृ0सं0 75